राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 350/2015/जयपुर

मै0 साना बिल्डटेक प्रा. लि.
अनुकम्पा –द्वितीय, एम.आई. रोड, जयपुर ....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, संभाग तृतीय, जयपुर .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थितः–
श्री रमेश गुप्ता
अभिभाषक। .... **अपीलार्थी की ओर से**
श्री एन.के. वैद
उप–राजकीय अभिभाषक ....**प्रत्यर्थी की ओर से**

दिनांक : 30.11.2018

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) की अपील संख्या–271/अपील्स–तृतीय/2013–14/ई में पारित आदेश दिनांक 18.07.2014 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत् प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, संभाग तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 01.07.2013 को मनीपाल सर्विस कारपोरेशन फेसलिटी मेनेजेमेंट प्रा. लि. के संबंध में जारी किया गया है जिसमें अपीलार्थी ड्रेन वर्क के लिये रूपये 29502/– का जारी किया गया। जिसके लिये अधिसूचना कमांक एफ. 12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.08.2006 एवं F.12(15)FD/ Tax/2012-114 Dt. 26-03-2012 तीन प्रतिशत की दर से दिनांक 01.07.2013 को मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 18.07.2014 को अस्वीकार की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 18.07.2014 से व्यथित होकर उक्त अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का विरूद्ध करते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कार्य संविदा के अधीन Drain Work का कार्य किया गया। Drain Work के उक्त संविदा कार्य के

लगातार........................2.

लिये व्यवहारी को 3 प्रतिशत के दर से दिनांक 01.07.2013 को मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी किया गया। जबकि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.8.2006 तथा अधिसूचना संख्या F.12(15)FD/Tax/2012-114 Dt. 26-03-2012, में संविदा कार्य के अधीन Drain Work हेतु निर्धारित मुक्ति शुल्क की दर 1 प्रतिशत है। जिसके विरूद्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण अस्वीकार किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18.07.2014 को अविधिक बताते हुए अपने कथन के समर्थन में **माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1641/2013/जयपुर निर्णय दिनांक 03.09.2014** का न्यायिक दृष्टात पेश करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 12(63)एफडी/टैक्स/2005–80 दिनांक 11.8.2006 तथा अधिसूचना संख्या F.12 (15)FD/Tax/2012-114 Dt. 26-03-2012, में संविदा कार्य के अधीन Drain Work के संविदा कार्य के लिये व्यवहारी को 3 प्रतिशत के दर से दिनांक 01.07.2013 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने तथा उसके विरूद्व प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18.07.2014 द्वारा अस्वीकार किया जाना विधिसम्मत है। अपीलीय अधिकारी के उक्त अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार विद्यमान नहीं है। अतः राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

7. वर्तमान प्रकरण में बिन्दु विवादित है वह यह कि क्या अपीलार्थी व्यवहारी व अवार्डर के मध्य निष्पादित करार के क्रम में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कार्य संविदा के अधीन किये गये Drain Work के उक्त कार्य के लिये व्यवहारी को दिनांक 01.07.2013 को 3 प्रतिशत की दर से जारी मुक्ति प्रमाण पत्र विधिसम्मत है या 1 प्रतिशत की दर से जारी किया जाना चाहिये था?

8. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कार्य संविदा के अधीन Drain Work के कार्य के लिये व्यवहारी को 3 प्रतिशत के दर से दिनांक 01.07.2013 को मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी किया गया। जबकि अपीलार्थी व्यवहारी का यह आधार रहा है कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.

लगातार.........................3.

12(63)एफडी/टैक्स/2005—80 दिनांक 11.8.2006 तथा अधिसूचना संख्या F.12 (15)FD/Tax/2012-114 Dt. 26-03-2012 में संविदा कार्य के अधीन Drain Work हेतु निर्धारित मुक्ति शुल्क की दर 1 प्रतिशत है।

9. इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 जिसमें संविदा संकर्म की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण कर देय EC फीस निर्धारित की गयी है। उक्त अधिसूचना संख्या F.12(63)FD/Tax/2005-80 Dt. 11-08-2006, का यहा उल्लेख किया जाना उचित होगा, जो निम्न प्रकार है—

List

Item No	Description of Work Contract	Rate of Exemption Fee % of the total value of the contract
1	2	3
1	Works contract where the cost of matrial does not exceed five percent of the total contract amount	0.25%
2	Works contract relating to EPC Turnkey power projects awarded by Rajasthan Rajya Vidyat Utpadan Nigam Limited. Works contract relating to Construction of roads, runways, bridges, dams, drains, tunnel, channels, barrages, diversion, railway tracks, causoways, sub-ways, spilways, boundary wall and water harvesting structures.	1.00%
3	Any other kind of works contract not covered by item Nos. 1 and 2	3.00%

This notification shall be deemed to have come into force w.e.f. April 1,2006

अधिसूचना संख्या F.12(15)FD/Tax/2012-114 Dt. 26-03-2012, का भी यहा उल्लेख किया जाना उचित होगा, जो निम्न प्रकार है—

List

Item No	Description of Work Contract	Rate of Exemption Fee % of the total value of the contract
1	2	3
1	Works contract where the cost of matrial does not exceed five percent of the total contract amount	0.25%
2	Works contract relating to EPC Turnkey power projects awarded by Rajasthan Rajya Vidyat Utpadan Nigam Limited. Works contract relating to Construction of roads, runways, bridges, dams, drains, tunnel, channels, barrages, diversion, railway tracks, causoways, sub-ways, spilways, boundary wall and water harvesting structures.	1.00%
3	Any other kind of works contract not covered by item Nos. 1 and 2	3.00%

इस संबंध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 को दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी किया गया है। अतः दिनांक 01.04.2012 से पूर्व अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 प्रभावी है। अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 तथा अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 में कार्य संविदा के अधीन Drain Work के कार्य के लिये निर्धारित मुक्ति शुल्क की दर 1 प्रतिशत है। Drain Work के उक्त संविदा कार्य के लिये व्यवहारी को 3 प्रतिशत के दर से दिनांक 01.07.2013 को मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी किया गया। यह उल्लेखनीय है कि जिस समय दिनांक 01.07.2013

को मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी किया गया था उस समय अधिसूचना दिनांक 26.06.2012 प्रभावी थी। जिसके अनुसार कार्य संविदा के अधीन Drain Work के कार्य के लिये निर्धारित मुक्ति शुल्क की दर 1 प्रतिशत है। अतः अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 तथा 26.03.2012 के आलोक में संविदा कार्य के अधीन Drain Work के कार्य के लिये व्यवहारी को दिनांक 01.07.2013 को 3 प्रतिशत के दर से जारी मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र विधिसम्मत नहीं है। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गयी है। अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 18.07.2014 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

10. परिणामस्वरुप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 18.07.2014 को अपास्त किया जाता है।

11. निर्णय सुनाया गया।

30/11/18

(राजीव चौधरी)
सदस्य